आर.ई.ओ –47

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांकः– अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु–____/पत्रा०____/प्रे०सं० 2137 जोधपुर, दिनांक 18-2-03

आदेश

विषयः– अकाल के कारण लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को बिजली के बिल जमा कराने में राहत प्रदान करने हेतु ।

राज्य में भयंकर अकाल की स्थिति के कारण लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के कृषकों के समक्ष बिजली के बिलो को जमा करवाने में आ रही कठिनाई से राहत प्रदान करने के लिये निम्नलिखित निर्णय लिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा प्रमाणित समस्त लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 4 हैक्टेयर भूमि सीमा तक के कृषकों से उनके कृषि कनेक्शन के बिलों की राशि वसूली को माह मई, 2003 के अन्त तक स्थगित किया जाता है।

इन कृषकों द्वारा माह मई, 2003 के अन्त तक इन बिलों के जमा करवाने पर इस समय सीमा में कोई ब्याज तथा लेट पैमेन्ट सरचार्ज नहीं लिया जायेगा।

(ए.एम.लोढा)
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर